9-2-18 पत्रावली पेश हुई। वादीगण व वकील वादी कोई उपस्थित नहीं आये। बार-बार आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं। अब समय लंच के बाद का हो चुका है। अन्तिम बार आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं ना ही कोई प्रार्थना पत्र ही उपस्थित आया। अतः वादीगण को वाद की आगे कार्यवाही में रुचि प्रतीत नहीं होती, इसलिए दावा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। फैसला सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही जावे दफ्तर हो। सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०